

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/सेवानिवृति/जोन-भरतपुर/1352/2025/ दिनांक:-

आदेश

निम्नांकित तालिका में अंकित कार्मिकाओं को जिनकी 60 वर्षीय अधिवार्षिकी आयु पूर्ण हो रही है, उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से सेवानिवृत किया जाता है:-

क्र.स	कर्मचारी का नाम/पदनाम (श्री/श्रीमति)	पदस्थापन जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृति तिथि
1	रोसम्मा पी.सी. म.स्वा.का	करौली	04.02.1965	28.02.2025
2	आशा देवी शर्मा म.स्वा.का.	करौली	30.11.1965	30.11.2025
3	सोसम्मा मेथ्यू म.स्वा.दर्शिका	करौली	30.05.1965	31.05.2025
4	विद्यारानी मंगल म.स्वा.का.	करौली	21.03.1965	31.03.2025

प्रमाणित किया जाता है कि:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 22-01-2025

क्रमांक:-नर्सिंग/सेवानिवृति/जोन-भरतपुर/1352/2025/ 21
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-भरतपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली।
- संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :18-01-2025 02:20:55